न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान विजयपाल बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 560/2025
निर्णय दिनांक 4/12/25

विजयपाल पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी झाड़सर छोटा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा थैलाना पटवार हल्का पुनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 182 खसरा सं. 535/399 तादादी 3.7176 हैक्ट में विजयपालसिंह है व अन्य दस्तावेजों में नाम विजयपाल है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विजयपालसिंह के स्थान पर विजयपाल अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एलआर/2473 दिनांक 04.12.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के ग्राम थैलाना में पूछताछ के एवं दस्तावेजों में प्रार्थी विजयपालसिंह का सही नाम विजयपाल है। अतः ग्राम थैलाना की उक्त जमाबंदी खाता संख्या 182 खसरा सं. 535/399 तादादी 3.7176 हैक्ट भूमि में विजयपालसिंह की बजाय विजयपाल नाम किया जाना उचित है क्योंकि विजयपालसिंह व विजयपाल एक ही व्यक्ति है।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में भू.अ.निरीक्षक व पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम विजयपालसिंह पुत्र मोहनसिंह व विजयपाल पुत्र मोहनसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम विजयपाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम विजयपालसिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा थैलाना पटवार हल्का पुनरास तहसील तारानगर के खाता संख्या 182 खसरा सं. 535/399 तादादी 3.7176 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **विजयपालसिंह Delete** कर इसके स्थान पर **विजयपाल** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)